

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2
संख्या-3/2021/जी-2-109/दस-2021-59/81
लखनऊ : दिनांक : 11 जून, 2021

विज्ञप्ति
विवध

जनरल प्रावीडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के नियम-11(1), कन्ट्रीब्यूट्री प्रावीडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), रूल्स के नियम-11(1) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्रावीडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जनरल प्रावीडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), कन्ट्रीब्यूट्री प्रावीडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्रावीडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेन्स फण्ड के अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 तक 7.1 प्रतिशत (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से लागू होगी।

आज्ञा से,
एस0राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-3/2021/जी-2-109(1)/दस-2021-59/81, तद्विनांक।

प्रतिलिपि अग्रेजी अनुवाद सहित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित की वे कृपया इस विज्ञप्ति को सरकारी गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर दें।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

संख्या-3/2021/जी-2-109(2)/दस-2021-59/81, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- (2) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- (4) निदेशक, वित्तीय प्रबन्धन प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- (5) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।